संख्याः 2815 /33–3–10–1/08

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 23 फरवरी, 2011

विषयः नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे/ई–फार्म्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में विभाग की विभिन्न सेवाओं को कॉमन सर्विस सेण्टर (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या–1835/33–3–09–1/08 दिनांक 21.08.2009 एवं संख्या–2594/33–3–09–1/08, दिनांक 30.11.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण अँचलों में स्थापित किये जा रहे कॉमन सर्विस सेण्टर–सीएससी(जन सेवा केन्द्र)/ लोकवाणी केन्दों के माध्यम से पंचायती राज विभाग की निम्नलिखित सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

i ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

ii कुटुम्ब रजिस्टर की कापी के लिए आवेदन

1. प्रदेश के 06 जनपदों यथा–गोरखपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, रायबरेली, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में पायलट–ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत पंचायती राज से सम्बन्धित शासनादेश पूर्व में निर्गत किये गये हैं। अतः इन 06 जनपदों में उक्त सम्बन्धित सेवाएं पूर्व की भॉति ई–डिस्ट्रिक्ट योजना में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार ही आच्छादित होती रहेगी। अवशेष जनपदों में यह सेवास संलग्नक में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रानिक विधि से उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्या सेवायें नयी व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त जनपदों में (ई–डिस्ट्रिक्ट जनपदों को भी सम्मिलित करते हुए) लागू की जायेगी।
2. भविष्य में 06 जनपदों में लागू ई–डिस्ट्रिक्ट योजना को प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति रोलआउट किया जाना प्रस्तावित है जिसके उपरान्त उक्त प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से बैंक ऑफिस आटोमेशन हो जायेगा तथा उसके उपरान्त उक्त सेवायें 06 जनपदों की भॉति ई–डिस्ट्रिक्ट के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होने लगेगी जिसके सम्बन्ध में तत्समय अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।
3. उपरोक्त नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत संदर्भित सेवायें इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु आवश्यक है कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर के सक्षम अधिकारियों के पास डिजिटल सिग्नेचर हों। ऐसे अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे जिसके लिये जनपद स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करते हुए सक्षम स्तर से प्रमाणित एवं अग्रसारित कराते हुए एनआईसी को उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु जिला स्तर पर एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान

एन० आई० सी० (एस० आई० ओ०)
लखनऊ
डायरी संख्या 7675
दिनांक 24/2/2011

अधिकारियों (डीआईओ) से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। सेवा से सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त डिजिटल सिग्नेचर में परिवर्तन के लिये आवश्यक प्रक्रिया जनपद स्तर के अधिकारियों को ही करनी होगी जिसके लिये सम्बन्धित जनपद के डीआईओ, एनआईसी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

4. पंचायती राज विभाग की उपरोक्त लिखित सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम से निर्गत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया संलग्नक–1 के अनुसार प्रतिपादित होगी।

5. कृपया तद्नुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
3– प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को एवं राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0, लखनऊ।
4– श्री एस0बी0 सिंह, उपमहानिदेशक एवं एस0आई0ओ0, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
5– समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– मसर्स इन्फास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्स सर्विसेज लि0(आई.एल.एण्ड एफ.एस.लि0) लखनऊ।
7– वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे/ई–फार्म्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में विभाग की विभिन्न सेवाओं को कॉमन सर्विस सेण्टर (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की प्रकिया।

1. **जन्म मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करना (ग्रामीण क्षेत्र में)**

क. जन्म प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।

ख. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।

2. **उक्त प्रमाण पत्रों के निर्गत कराने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा :–**

क. आवेदक को अपने निकटतम कामन सर्विस सेन्टर में जाकर सेन्टर के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जोकि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) उक्त सेवाओं के लिए अनुरोध करना होगा।

ख. आवेदक को अपने पहचान से सम्बन्धित एवं चिकित्सालय/ग्राम पंचायत अधिकारी/पंचायत सचिव द्वारा निर्गत जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग. कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण आवेदक से प्राप्त करने के उपरान्त पंजीयन से सम्बन्धित ई–फार्म में भरा जायेगा।

घ. आवेदक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों को कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा

ड. फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आपरेटर द्वारा आवेदक को पुष्टि के लिए प्राप्त कराया जायेगा।

च. आवेदक द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी तथा फार्म की प्रविष्टियां सही पायी जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाया जायेगा।

छ. तदोपरान्त कामन सर्विस सेन्टर द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रणाली माध्यम से निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। ग्राम पंचायत के लिए सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) इस हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिनके माध्यम से प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया जायेगा।

ज. ई–फार्म एप्लीकेशन पोर्टल में अपने एकाउन्ट को सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा नित्य लाग ऑन किया जायेगा तथा आवेदन पत्र का निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को जॉच के लिए भेजा जायेगा।

झ. प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्नकों की वैधता/पूर्णता आदि की जांच के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी जांच अधिकारी होंगे जो कि प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित जॉच आख्या प्रस्तुत करेंगे।

ञ. सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) आवेदक द्वारा किये गये आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिये गये निर्णय (स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की स्थिति स्पष्ट कारण अंकित करते हुए) को ई–फार्म पोर्टल पर संबधित आवेदन के सापेक्ष अपडेट करेंगे ताकि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल के माध्यम से किसी भी कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र से ज्ञात कर सके।

ट. जारी किये गये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम कार्यालय से जनसेवा केन्द्र को अथवा जनसेवा केन्द्रों के संचालकों की ओर से किसी अधिकृत प्रतिनिधि अथवा एस0सी0ए0 के प्रतिनिधि को प्राप्त करना होगा।

ठ. तदोपरान्त आवेदक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जनसेवा केन्द्र से प्राप्त कर सकेगा। उपरोक्त प्रकिया के द्वारा मात्र प्रकिया को पारदर्शी बनाते हुए उसका सरलीकरण किया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु शर्ते एवं अन्य नियम पूर्वरत रहेंगे। इन नियमों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये ताकि आम नागरिक को कॉमन सर्विस सेन्टर जन्म /मृत्यु प्रमाण पत्र समय से प्राप्त हो सकें तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ–साथ सुगत व सरल बनाया जा सके।

3. कुटुम्ब रजिस्टर की कापी के लिए आवेदन का निस्तारण

क. सर्वप्रथम आवेदक को अपने निकटतम कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों में जाकर केन्द्र के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जोकि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) सेवा हेतु अनुरोध करना होगा।

ख. अभ्यर्थी को अपने पहचान से सम्बन्धित प्रमाण पत्र केन्द्र के आपरेटर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण अभ्यर्थी से प्राप्त करने के उपरान्त सेवास से सम्बन्धित ई–फार्म में भरा जायेगा।

ग. फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को उसका प्रिन्ट आउट पुष्टि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

घ. अभ्यर्थी द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी। फार्म पर प्रविष्टियॉ सही पाये जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगायेगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को कम्प्यूटर जनरेटेड एक पावती रसीद एकनॉलेजमेंट जिस पर एक यूनिक नम्बर अंकित होगा तथा जिसका उपयोग आवेदक द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए किया जायेगा, उपलब्ध कराया जायेगा।

ड. कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा सेवा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्व,ारा दी गयी सूचनाओं को ई–फार्म्स एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक विधि से ई–फार्म पोर्टल साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/कार्यालय (ग्राम विकास /ग्राम पंचायत अधिकारी) को प्रेषित किया जायेगा।

च. सम्बन्धित ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ई–फार्म एप्लीकेशन पोर्टल में अपना एकाउंट नित्य लाग ऑन किया जायेगा तथा आवेदन पत्र का पिन्ट आउट लेकर निस्तारण किया जायेगा।

छ. .सम्बन्धित ग्राम विकास /ग्राम पंचायत अधिकारी आवेदक द्वारा किये गये आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिये गये निर्णय (स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की स्थिति स्पष्ट कारण अंकित करते हुए) को ई–फार्म्स पोर्टल पर सम्बन्धित आवेदन के सापेक्ष अपडेट करेंगे ताकि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल के माध्यम से किसी भी कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र से ज्ञात कर सकें।

ज. जारी किये गये कुटुम्ब रजिस्ट की कापी सक्षम कार्यालय से जनसेवा केन्द्र के संचालक को अथवा जनसेवा केन्द्र के संचालकों की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि अथवा एस.सी.ए. के प्रतिनिधि को प्राप्त करना होगा।

झ. तदोपरान्त आवेदक कुटुम्ब रजिस्ट की कापी को जनसेवा केन्द्र से प्राप्त कर सकेगा।

झ. तदोपरान्त आवेदक कुटुम्ब रजिस्टर की कापी को जनसेवा केन्द्र से प्राप्त कर होगा

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।